Dr. S. S. Pandey

समसामयिक मुद्दा

भारत में समलैंगिकता एवं समलैंगिक विवाह

Homosexuality and Same Sex Marriage in India

13 Dec. 2022

"आज अमेरिका ने समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय की दिशा में एक और कदम उठाया है। यह कदम सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं है बल्कि सभी के लिए है"– Joe Biden

USA में The Respect for Marriage Act द्वारा Same Sex Marriage को मान्यता.....

11 मई 2023

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पाँच जजों की बेंच ने समलैंगिक विवाह पर 10 दिनों की सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित किया

भारत में समलैंगिकता / Homosexuality in India

- समलैंगिकता का अर्थ
- समलैंगिक विवाह का अर्थ
- समलैंगिकों की समस्या
- समलैंगिकता की वर्तमान स्थिति
- दिल्ली HC और SC का निर्णय
- समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क
- समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क
- समीक्षा एवं निष्कर्ष

LGBTIQA+ का अर्थ

Meaning of LGBTIQA+

- Lesbian का अर्थ
- Gay का अर्थ
- Bisexual का अर्थ
- Transgender का अर्थ
- Intersex का अर्थ
- Queer का अर्थ
- Asexual का अर्थ

LGBTIQA

समलैंगिकता का अर्थ

Meaning of Homosexuality

समान लिंग के प्रति भावात्मक एवं शारीरिक आकर्षण (Emotional and Physical Attraction) को समलैंगिकता (Homosexuality) की संज्ञा दी जाती है।

समलैंगिक विवाह का अर्थ

Meaning of Same Sex Marriage

समान लिंग के बीच विवाह को समलैंगिक विवाह कहा जाता है;
जैसे- पुरुष-पुरुष के बीच विवाह (Gay Marriage) या स्त्री-स्त्री के बीच विवाह (Lesbian Marriage)

समलैंगिकों की समस्या

Problems of Homosexual

1. पहचान का संकट
2. सामाजिक उपेक्षा
3. मानसिक तनाव एवं कुंठा
4. भेद-भाव एवं शोषण
5. इनके विरूद्ध हिंसा एवं हत्या

विश्व में समलैंगिकता की स्थिति

Status of Homosexuality in the World

1969
न्यूयार्क–स्टोंनवॉल दंगा–
पुलिस द्वारा समलैंगिकों को प्रताड़ित करने के विरोध में LGBT अधिकार आंदोलन का प्रारंभ (प्राइड परेड)

13 Dec. 2022 को The Respect for Marriage Act (Same Sex Marriage Legalisation) द्वारा अमेरिका में भी समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गयी

मार्च 2023 तक

34 देशों में समलैंगिकों को विवाह की अनुमति–

प्रथम देश – नीदरलैंड (1 अप्रैल 2001)

1979 से मार्च 2023 तक

ईरान में 4000 समलैंगिकों को फांसी

भारत में समलैंगिकता की स्थिति

Status of Homosexuality in India

हता हंस इति प्रोक्तमथ केनापि भारत।
तत्छुत्वा डिंभको राजन् यमुनाम्भस्यमज्जत॥

बिना हंसेन लोकेस्मिन नाहं जीवितुमुत्सहे।
इत्येतां मतिमास्थाय दिंभको निधनं गतः॥

— महाभारत, सभापर्व, 14वां अध्याय

समलैंगिकता भारतीय समाज में एतिहासिक रूप से विद्यमान रही है, परन्तु कभी भी इसे धार्मिक मान्यता या सामाजिक मान्यता नहीं मिली है और इसे पाप या मानसिक विकृति का परिणाम माना गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, IPC की धारा 377 के अनुसार (अंग्रेजों द्वारा 1861 में लागू) इसे प्रकृति विरूद्ध (Unnatural) मानते हुए, घोर अपराध (Heinous Offences) की श्रेणी में रखा गया और इसका उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड का प्रावधान रहा है (आजीवन कारावास तक) (6 सितम्बर 2018 के पहले तक)

1994

धारा 377 को पहली बार कोर्ट में चुनौती

27 मार्च 2001

भारत में पहला समलैंगिक विवाह छत्तीसगढ़ में संपन्न

2001

नाज फाउंडेशन द्वारा धारा 377 हटाने हेतु – PIL

2009

समलैंगिकता पर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय–

HC ने धारा 377 को निरस्त किया

समलैंगिकता पर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय

The Guardian

Thu 2 Jul 2009 10.29 BST

Indian court decriminalises homosexuality in Delhi

An Indian court today decriminalised homosexuality – but only in the country's capital, Delhi.

The Delhi high court ruled that treating consensual gay sex as a crime was a violation of fundamental rights protected by India's constitution.

2012

भारत में विधि आयोग ने 172वीं रिपोर्ट में समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करने की सिफारिश की

2013

समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय– SC ने धारा 377 को पुन: बहाल किया

समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

THE HINDU

J. Venkatesan

New Delhi 11 December 2013 10:53 IST

Supreme Court sets aside Delhi HC verdict decriminalising gay sex

"Section 377, which holds same-sex relations unnatural, does not suffer from unconstitutionality"

In a major setback to gay rights activists, the Supreme Court on Wednesday held that homosexuality or unnatural sex between two consenting adults under Section 377 of the Indian Penal Code is illegal and will continue to be an offence. This provision did not suffer from any constitutional infirmity, it said.

2015

शशि थरूर द्वारा संसद में धारा 377 को निरस्त करने हेतु निजी विधयक पेश किया गया– पक्ष में– 14 वोट– विपक्ष में 58 वोट

अगस्त 2017

सुप्रीम कोर्ट ने यौनिकता (Sexual Orientation) को निजता का अधिकार माना

6 सितम्बर 2018

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार–

आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाये गये समलैंगिक संबंध को अब अपराध नहीं माना जायेगा

(दीपक मिश्रा)

समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

THE HINDU

06 September 2018 17:36 IST

Supreme Court decriminalises homosexuality — A timeline

On July 10, 2018, the five-judge constitution bench commences hearing on batch of pleas.

Following is the chronology of events leading to the Supreme Court unanimously decriminalising on Thursday part of Section 377 of the IPC which dealt with consensual gay sex.

समसामयिक मुद्दा

भारत में समलैंगिक विवाह

Same Sex Marriage in India

6 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया

बावजूद इसके.....,

समलैंगिकों के साथ कुछ समस्याएँ / मुद्दे विद्यमान रहें; जैसे–

1. इनको गोद लेने का अधिकार नहीं
   [Adoption Regulation Act - 2022 की धारा 3(2)]
2. इनको सरोगेसी का अधिकार नहीं
   (Surrogacy Regulation Act - 2021 की धारा 5)

3. इनको विरासत (Heritage) का अधिकार नहीं

4. इनको पेंशन पाने का अधिकार नहीं

5. इनकों Tax Benefit का लाभ नहीं

इसलिए समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने की माँग प्रारंभ

नवम्बर 2022

हैदराबाद का एक गे-कपल सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अभय डांग ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत समलैंगिक विवाह हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

जनवरी 2023 तक

भारत में देश की अलग-अलग अदालतों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने हेतु लगभग 20 याचिकाएँ (PIL) दायर की गयी

13 मार्च 2023 -

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की माँग वाली याचिकाओं को संविधान पीठ के पास भेजा

16 अप्रैल 2023

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच का गठन किया

18 अप्रैल 2023

बेंच ने 18 अप्रैल से मामले पर सुनवाई शुरू की

11 मई 2023

बेंच ने इस मामले पर 10 दिनों की सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित किया

समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क

Arguments in favor of Same Sex Marriage

1. भारतीय संविधान में निहित सामाजिक न्याय के आदशों के अनुरूप है

2. विवाह का अधिकार नहीं देना - उनके साथ भेदभाव और संविधान की धारा 14, 15 एवं 19 के विरुद्ध है

3. यह विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के उद्देश्यों के अनुरूप है

4. इससे गोद लेने, सरोगेसी, विरासत, पेंशन आदि अधिकारों की प्राप्ति संभव

5. इससे निजता के अधिकार के साथ-साथ उनको सामाजिक स्वीकृति संभव–
फलतः उनका समाज में सम्मान से जीवन जीना संभव

समलैंगिक विवाह के विपक्ष में तर्क

Arguments Against Same Sex Marriage

1. यह भारतीय समाज के परंपरागत मूल्यों एवं धार्मिक मान्यताओं के विपरीत है फलतः यह सामाजिक / सांस्कृतिक संकट (Social / Cultural Crisis) को उत्पन्न करेगा

2. समलैंगिक विवाह को मान्यता देना – मूल अधिकार में शामिल नहीं है

3. आपसी सहमति से यौन संबंध व्यक्ति का निजी मामला है परन्तु विवाह एक सार्वजनिक मामला है इसलिए निजता के अधिकार के द्वारा इसको न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है

4. विशेष विवाह अधिनियम 1954 की व्याख्या द्वारा इसमें समलैंगिक विवाह को शामिल करना एक जटिल कार्य है

5. इससे कई प्रकार की नवीन जटिलताओं का उद्भव संभव होगा; जैसे–

- तलाक की स्थिति में भरण-पोषण कौन देगा?
- यदि दोनों महिला हैं तो – घरेलू हिंसा कानून का लाभ किसको मिलेगा?
- तलाक के बाद बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी?
  (अभी के कानून के अनुसार – 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की कस्टडी मां को)

  Adoption कानून में बच्चे के हित को प्राथमिकता दी गयी है– एसे में समलैंगिकों के अधिकार अधिक महत्वपूर्ण हैं या बच्चा का हित?

निष्कर्ष

Conclusion

1. समलैंगिक विवाह का अधिकार मिलना चाहिए परन्तु यह अधिकार सामाजिक न्याय के मूल्यों अनुसार हो न कि वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार के मूल्यों के अनुसार

2. यह अधिकार भारतीय समाज एवं संस्कृति (Indian Society and Culture) के साथ समायोजन बनाए रखते हुए प्रदान किया जाना चाहिए

इसलिए उन्हें यह अधिकार चरणों में दिया चाहिए–

- सर्वप्रथम उन्हें कुछ विशिष्ट अधिकार प्रदान किए जाय (अमेरिका का उदाहरण)
- समाज में समलैंगिक विवाह के पक्ष में जनमत का निर्माण किया जाय..... तत्पश्चात उनको विवाह का अधिकार प्रदान किया जाय
- यह काय एक लंबी बहस के बाद संसद के द्वारा किया जाय

संभावित प्रश्न

- समलैंगिकता क्या है? भारतीय समाज के लिए क्या यह उपयक्त है? चर्चा कीजिए।
- सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय, जिसमें IPC की धारा 377 के अंतर्गत परिभाषित कृत्य को (समलैंगिक संबंधको) गैर-अपराधिक करार दिया गया है। क्या इस परिप्रेक्ष्य में वास्तविक समलैंगिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु नय कानून / विधयक की आवश्यकता है? इस पर अपना मत प्रस्तुत कीजिए।
- वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में समलैंगिक संबंधो को मान्यता देना व्यक्तिक स्वतंत्रता की मांग के अनुकूल प्रतीत होता है, परन्तु क्या व्यक्तिक स्वतंत्रता, सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश से स्वतंत्र होनी चाहिए? इस पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए।
- भारत में समलैंगिक अधिकारों को मान्यता देना सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए न कि व्यक्तिक स्वतंत्रता के माँग के अनुरूप होना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।